(72)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 2729–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 28.07.2016 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 02/अ–70/15–16

पंचा पुत्र श्री पजना अहिरवार
निवासी वार्ड क. 10 लवकुशनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 .....**आवेदक**

विरुद्ध

संतोष कुमार पुत्र श्री राजाराम विश्वकर्मा
वार्ड क. 10 लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़

आदेश

(आज दिनांक 16/1/18 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 02/अ–70/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.07.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है। आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिसमें पटवारी से पुनः प्रतिवेदन मंगाये जाने का अनुरोध किया गया था, पर सुनवाई करते हुए पटवारी प्रतिवेदन पुनः बुलाए जाने की आवश्यकता न होने संबंधी आदेश

पारित किया गया है। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिये गए हैं कि आवेदक का अनावेदक की भूमि पर सीमांकन में अवैध कब्जा पाया गया, किंतु आवेदक द्वारा कब्जा नहीं छोड़ा गया। इस कारण अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत एक आवेदन पत्र तहसील न्यायालय लवकुशनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें आवेदक पंचा द्वारा प्रकरण को लंबा खींचने व लंबित रखने के आशय से प्रकरण में पुनः पटवारी रिपोर्ट मांगने हेतु एक आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए आधारहीन होने से आदेश दिनांक 28.07.2016 से निरस्त कर दिया गया। यह भी कहा गया है कि सीमांकन में आवेदक द्वारा अनावेदक की भूमि पर 0.010 हे. पर अवैध कब्जा किया हुआ है। जिसके विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

5/ उभयपक्षों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण संहिता की धारा 250 का जो अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन जिसमें अनावेदक द्वारा दिनांक 27–6–15 को किये गये सीमांकन के आधार पर आवेदक से 0.010 हैक्टर पर किए गए अप्राधिकृत कब्जे को अनावेदक को वापिस दिलाए जाने का अनुरोध किया गया है । अभिलेख में सीमांकन प्रकरण से संबंध आदेश की प्रति संलग्न है जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन खसरे के अंशभाग रकबा 0.010 हैक्टर पर आवेदक का अनाधिकृत कब्जा है और उसके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर किए जाने से इंकार किया गया है । सीमांकन आदेश को कोई चुनौती आवेदक द्वारा दी गई हो यह स्पष्ट नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

दोनों पक्षों को सुनकर पटवारी से पुनः प्रतिवेदन मंगाए जाने की आवश्यकता नहीं होने संबंधी जो आदेश दिया है वह उचित एवं न्यायिक है । प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर अधीनस्थ न्यायालय में अभी होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । दर्षित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर